## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

## राजस्व वाद संख्या 04/2017

श्री हीरा पुत्र श्री दाऊ जी उम्र करीबन 61 साल जाति मेहरात निवासी ग्राम कानाखेडा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

————वादी

**ब ना म**

1– श्रीमति सोहनी पत्नि श्री मिठू जी जाति मेहरात
2– श्रीमति देवी पत्नि श्री बाबू जी पुत्री श्री भवाना जी जाति मेहरात
1 लगायत 2 निवासी गांव जफरू पोस्टमेंन का बाडिया–सेन्दडा तहसील रायपुर जिला–पाली राज0
3– श्रीमति नैनी पत्नि श्री नैना जी पुत्री श्री भवाना जी जाति चीता निवासी गांव अजयसर तहसील व जिला अजमेर
4– श्रीमति अनोपी पत्नि श्री मोहन जी जाति मेहरात निवासी गांव कानाखेडा तहसील मसूदा जिला–अजमेर
5– श्री लाडू पुत्र श्री डूंगा जी जाति मेहरात
6– श्री नैना पुत्र श्री डूंगा जी जाति मेहरात
7– श्री नवाब पुत्र श्री उदा जी जाति मेहरात
8– श्री सिकन्दर पुत्र श्री उदा जी जाति मेहरात
9– श्री मोटा पुत्र उदा जी जाति मेहरात
5 लगायत 9 निवासी गांव लाखीना तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0
10– कोया पुत्री उदा जी जाति मेहरात निवासी कोखरखेजडा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0
11– मूमी उर्फ नैनी पुत्री श्री उदा जी जाति मेहरात निवासी लाखीना तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0
12– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार व उपपंजीयक मसूदा
13– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर

————प्रतिवादीगण

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी जो वादपत्र संख्या 04/2017 अंतर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पर प्रस्तुत हुआ।**

आदेश

दिनांक 29.09.2017

उक्त प्रकरण में (प्रार्थीगण) प्रतिवादीगण संख्या 5, 7 से 9 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत कर सारांशतः निवेदन किया है, कि उक्त प्रकरण में वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया है, जो गलत तथ्यो पर आधारित है, जिसमें माननीय न्यायालय ने इसी खसरा नंबर 2174 रकबा 00–12–00, 2175 रकबा 03–05–00 को दिनांक 26.8.2011 को प्रतिवादीगण संख्या 5, 7 से 9 के पक्ष में वाद संख्या 34/2008 पेश किया और सुनवाई कर निर्णय व डिक्री पारीत की है। वादी का जानकारी होने के उपरांत भी उपरोक्त प्रकरण में वादी ने जानबूझकर माननीय न्यायालय को गुमराह कर गलत तथ्य पेश कर इसी खसरा संख्या पर वाद पेश कर एकपक्षीय स्थगन आदेश ले रखा है। प्रतिवादी संख्या 5, 7 से 9 की ग्राम कानाखेडा तहसील मसूदा के हाल खसरा नंबर 2174, 2175 को केतागण के पक्ष में दिनांक 12.05.1975 को एक बेचाननामा भवाना पुत्र गमीरा जाति मेहरात निवासी कानाखेडा ने उक्त बेचाननामा तहरीर तकमील कर उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 20.5.1975 को किया गया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.08.2011 को प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी इन्द्राज करने का आदेश पारीत किया था उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में आज भी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। एंव

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

राजस्व रेकार्ड में खातेदारी इन्द्राज करने का आदेश पारीत किया था उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में आज भी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। एंव वर्तमान में प्रतिवादीगण के पास ही कब्जा काश्त है एंव दिनांक 12.5.1975 से ही कब्जा

.....लगातार

काश्त एव उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। किन्तु वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष गलत वाद प्रस्तुत कर दिया है। पूर्व प्रकरण संख्या 34/2008 उनवान लाडू वगैरह बनाम श्रीमति कल्लू व अन्य माननीय न्यायालय ने बेचाननामा दिनांक 19.09.2008 को प्रभावशून्य करार दिया जाकर नामान्तकरण संख्या 976 दिनांक 16.03.2008 इन्द्राज को रिकार्ड से हटाने व नामान्तकरण को निरस्त करने के आदेश पारीत किये थे। वादी हीरा पुत्र दाउ ने अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता भवाना पुत्र गमीरा थे जिनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की माता एंव श्रीमति कल्लू बेवा भवाना के हक व हिस्से में प्राप्त हुई उसके पश्चात वादग्रस्त आराजीयात को अपने पति की एक मात्र अकेली वारीस बताकर वादी को बजरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 09.12.1999 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया जबकि वास्तविकता में भवाना पुत्र गमीरा ने दिनांक 12.05.1975 को ही उक्त आराजीयात को बेचान कर दिया था तो उक्त बेचाननामा दिनांक 09.12.1999 स्वतः ही प्रभावशून्य है। पटवारी कानाखेडा ने दिनांक 03.07.2008 को जांच रिपोर्ट दी थी जिसमें केतागण प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे है, ऐसी रिपोर्ट तहसीलदार साहब को पेश की थी। तथा दिनांक 12.05.1975 को लाडू पुत्र डूंगा व उदा, नैना नाबा.पिसरान डूंगा कोम मेहरात साकिन लाखीना को बेचान कर दिया था। उक्त प्रकरण में शांतिलाल चौरडिया पुत्र कनकमल चोरडिया जाति जैन निवासी ब्यावर ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के समक्ष इसी खसरा संख्या की अपील पेश की थी जिसको भी माननीय अपील न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31.03.2015 के जरिये खारीज कर दी तथा माननीय न्यायालय के आदेश को यथावत रखा। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण के हक में हुये माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री एंव बेचाननामा दिनांक 12.05.1975 को आज तक निरस्त नही किया है। तथा समस्त बेचाननामे पश्चातवर्ती है, इसलिये प्रारंभ से ही अवेध व शून्य है। वादग्रस्त भूमि पर वादी के हक में कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। वादी ने माननीय न्यायालय में पूर्ण व सही तथ्यो सहित स्वच्छ हाथो से न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। उक्त प्रकरण में वादी कोई भी अनुतोष प्राप्त करना है तो वह सक्षम दीवानी न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारीज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का नकराते हुये जवांब प्रस्तुत कर सांराशतः निवेदन किया है, कि आवेदन पत्र तय करते समय माननीय न्यायालय को केवलमात्र वाद पत्र में अभिलिखत तथ्यो व कथनो को ही देखना है, मौजुदा प्रकरण में न तो प्रतिवादीगण ने अपना प्रतिवाद पत्र पेश किया है, ना ही कोई दस्तावेजात पेश किये। वादी ने माननीय न्यायालय में जो वाद पत्र पेश किया है, वह समूचित दस्तावेजो के आधार पर ही पेश किया है, जिसे गुणावगुण पर साक्ष्य ली जाकर ही तय किया जा सकता है। जो पूर्व में वाद निर्णित हुआ है, उसमें वादी ना तो पक्षकार था और ना ही ऐसे वाद व निर्णय व डिक्री से वादी पांबद व जिम्मेदार है। ना ही इसी आधार पर मात्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत मौजुदा वाद खारीज किया जा सकता है। प्रस्तुत वाद आवेदन पत्र में वर्णित आधारो पर किसी भी तरह से विधिक तौर पर बाधित नही है एव वादी द्वारा दायर किये गये वाद में माननीय न्यायालय की अनुतोष प्रदान करने के लिये सक्षम है, अलावा इसके कथित वाद व अपील में वादी पक्षकार मुकदमा नही था न ही उक्त वाद में वर्णित कथनो व आदेशो से वादी बाध्य है। प्रतिवादी ने जानबूझकर यह अंकित नही किया है, कि माननीय न्यायालय को किस प्रकार मौजूदा

.....लगातार

प्रकरण की सुनवाई का क्षैत्राधिकार नही है, ऐसे अस्पष्ट व आवेदन पत्र सरसरी तोर पर ही रिजेक्ट किये जाने योग्य है। प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा को शून्य घोषित कराने का एक मात्र अधिकार माननीय न्यायालय को ही है, किन्तु प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा से वादी पाबंद व जिम्मेदार ही नही है। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के परव्यू में नही आते है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय खरचे खारीज किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को खारीज किये जाने का निवेदन किया। वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय हर्जे व खर्चे के खारीज किये जाने का निवेदन किया एंव न्यायिक दृष्टांत आर0आर0.डी0 2001 पेज 160, 2014 (1) डी0एन0जे0 राज0 पेज 260, 2011 (2) डी0एन0जे0 राज0 पेज 730, 2014 (1) डी0एन0जे0 राज0 पेज 62 पेश की गई।

मेरे द्धारा पत्रावली व न्यायिक दृष्टांत का अद्धोपांत अवलोकन किया गया तो पाया गया कि वादी ने विवादित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 9.12.1999 के द्धारा श्रीमति कल्लू बैवा भवाना से खरीद किया तथा उक्त बेचाननामे के आधार पर अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाने तथा प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदी में दर्ज चले आ रहे इन्द्राज को निरस्त करवाने तथा पश्चातवर्ती बेचाननामो के आधार पर हुये इन्द्राजात को वादी के अधिकारो के प्रति शून्य बेअसर घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादीगण ने जो दस्तावेजात प्रमाणति प्रतिलिपीयां पेश की है, उसमें इसी न्यायालय का निर्णय व डिक्री राजस्व वाद संख्या 34/2008 दिनांक 26.08.2011 पेश किया है जिसमें वर्णित वादीगण लाडू, नैना, नवाब, मोटा, सिकन्दर श्रीमति कोया, श्रीमति मूमी के हक में पूर्ण सुनवाई किया जाकर तथा भवाना पुत्र गमीरा के द्धारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 12.05.1975 के द्धारा उक्त राजस्व वाद के वादीगण को बेचान किया जाना मानते हुये दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण लाडू वगैरह को खातेदारी प्रदान की जाकर पश्चातवर्ती बेचाननामा दिनांक 19.09.2008 जो श्रीमति अनोपी के हक में किया गया उसको प्रभावशून्य करार दिया जाकर उसके आधार पर खोले गये नामान्तकरण को निरस्त करने का आदेश पारीत किया जाना पाया गया। इसी प्रकार माननीय राजस्व अपील अधिकारी जी, अजमेर के यहां प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 256/2012/223 अजनाम डा0 श्री शांतिलाल बनाम श्री लाडू वगैह में अपीलांट शांतिलाल ने यह कहते हुये अपील प्रस्तुत कि है, कि अपीलांट ने विवादित भूमियो को श्रीमति अनोपी द्धारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 24.12.2010 के द्धारा क्रय की है, तथा अपीलांट सदभाविक केता बताते हुये अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें माननीय राजस्व अपील न्यायालय में अपने आदेश में यह फाईडिंग दी है, कि **प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 व 7 के पूर्वज भवाना पुत्र गमीरा द्धारा वादीगण को पूर्व में ही दिनांक 12.5.1975 को बेचान किया जा चुका है, इसके उपरांत प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6 व 7 को पुनः विवादित भूमि श्रीमति अनोपी को विक्रय किये जाने का कोई अधिकार नही था।** इसलिये अनोपी के हक में किया गया बेचाननामा व अनोपी द्धारा अपीलांट के हक में किया गया बेचाननामा प्रारंभ से ही अवेध एंव शून्य है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

इसी प्रकार इस वर्तमान दावे में वादी के हक में किये गये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 9.12.1999 जो श्रीमति कल्लू बैवा भवाना के द्धारा किया गया है। जबकि उससे पूर्व ही भंवाना पुत्र गमीरा ने विवादित भूमियो को जरिये रजिस्डर्ट बेचाननामा दिनांक 12.05.1975 के द्धारा प्रतिवादीगण को बेचान किया जा चुका था और उसके आधार पर इस न्यायालय द्धारा निर्णय व डिक्री पारीत की जा चुकी है, और माननीय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर द्धारा भी इस न्यायालय का निर्णय व डिक्री को यथावत रखा

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी जो वादपत्र संख्या 04/2017 अंतर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पर प्रस्तुत हुआ।**

गया। इसलिये कल्लू बैवा भवाना को पुनः वादी को बेचान किये जाने का कोई अधिकार ही नही था। जो न्यायिक दृष्टांत वादी ने प्रस्तुत किये गये वह प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यो से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य व विवेचन के आधार पर वादी को वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है एवं ना ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न होना पाया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 5, 7 से 9 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारीज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 29/8/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 16:53:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: